राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

01 SEP 2021

क्रमांकः–प.17(1)नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांकः 01 SEP 2021

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के मध्यमनजर जनहित में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार छूट/शिथिलताएं प्रदान की जाती हैं :–

1. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों में भूखण्डधारियों द्वारा नियमन हेतु कैम्प में आवेदन नहीं किया गया था, उनमें दिनांक 15.09.2021 से अभियान अवधि (31.03.2022) को प्रथम कैम्प मानते हुए सामान्य प्रीमियम दर पर राशि वसूल कर एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना में भी उक्तानुसार आवंटन/नियमन दर पर राशि वसूल कर पट्टे दिये जाने की छूट प्रदान की जाती है।
2. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012, राजस्थान नगरीय भूमि निष्पादन नियम, 1974, भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010, उप विभाजन/पुनर्गठन नियम, 1975, भवन विनियम 2020 एवं टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अंतर्गत जहां–जहां भी ब्याज दर 15 प्रतिशत/12 प्रतिशत अंकित है, उनमें ब्याज़ दर 9 प्रतिशत की दर से वसूल करने की छूट प्रदान की जाती है।
3. राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप विभाजन/पुनर्गठन एवं भूखण्ड का सुधार) नियम, 1975 के नियम 12 में 1500 वर्गगज से अधिक के भूखण्ड की स्वीकृति राज्य सरकार से लिए जाने का प्रावधान है। अभियान अवधि में 3000 वर्गगज तक के प्रकरणों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड समिति द्वारा किये जाने की छूट प्रदान की जाती है।
4. आदेश दिनांक 12.05.2021 के द्वारा आवासन मण्डल/प्राधिकरण व न्यासों द्वारा आवंटित ईडब्यलूएस/एलजाईजी/एमआईजी–ए आय ग्रुप के आवासों की बकाया राशि व बकाया किश्त एकमुश्त जमा कराने पर दिनांक 31.07.2021 तक छूट प्रदान की गई थी जिसे 15.09.2021 से अभियान अवधि (31.03.2022) तक बढाया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. डॉ. जी. एस. संधु, (सेवानिवृत आईएएस), सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner